संख्या-42/2025/478/छप्पन-2025-56-1002/02/2024

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-01/ना0उ0नि0/लेखा/2024 दिनांक 02 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की कतिपय राजस्व मदों को निर्वतन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नागरिक उड्डयन की अनुदान संख्या-38 के आय-व्ययक में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय एवं राजस्व लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण तथा राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा- 03-हवाई पटियों का अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7919.97 लाख (रू0 उन्यासी करोड़ उन्नीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय

(धनराशि रु0 लाख में)

लेखाशीर्षक मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय		
01- वेतन	321.97	321.97
02- मजदूरी	2300.00	2300.00
03- मंहगाई भत्ता	193.18	193.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

04- यात्रा व्यय	20.00	20.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
06- अन्य भत्ते	245.00	245.00
07- मानदेय	1.00	1.00
08- कार्यालय व्यय	9.00	9.00
09- विदयुत देय	90.00	90.00
10- जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00	5.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	6.00
13- टेलीफोन पर व्यय	4.00	4.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25.00	25.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	10.00
17-किराया, उपशुल्क और कर- स्वामित्व	1.00	1.00
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	14.50	14.50
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	2.00	2.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरणऔर संयंत्र	0.00	0.00
29-अनुरक्षण	150.00	150.00
39-औषधि तथा रसायन	1.50	1.50
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0.25	0.25
42-अन्य व्यय	3185.00	3185.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्रय	21.00	21.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सबन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
49- चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51- वर्दी व्यय	3.00	3.00
55- मकान किराया भत्ता	22.50	22.50
57- प्रैक्टिस बंदी भत्ता	2.60	2.60
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40.00	40.00
योग-	**6702.50**	**6702.50**

2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु0 लाख में)

लेखाशीर्षक मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
लेखाशीर्षक-2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण		
01- वेतन	64.63	64.63
02- मजदूरी	169.26	169.26
03- मंहगाई भत्ता	38.78	38.78
04- यात्रा व्यय	0.50	0.50
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.01	0.01
06- अन्य भत्ते	0.04	0.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

07- मानदेय	0.10	0.10
08- कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09- विदयुत देय	4.00	4.00
10- जलकर/जल प्रभार	1.70	1.70
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00	2.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	6.00
13- टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	2.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.50
17-किराया, उपशुल्क और कर- स्वामित्व	2.50	2.50
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	0.50	0.50
26-मशीनें और सज्जा/उपकरणऔर संयंत्र	0.00	0.00
29-अनुरक्षण	20.00	20.00
42-अन्य व्यय	6.00	6.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.01	0.01
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सबन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49- चिकित्सा व्यय	4.00	4.00
51- वर्दी व्यय	0.20	0.20
55- मकान किराया भत्ता	4.56	4.56
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.50	8.50
योग-	**348.79**	**348.79**

3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा- 03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण

(धनराशि रु0 लाख में)

लेखाशीर्षक मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा- 03-हवाई पटियों का अनुरक्षण		
01- वेतन	156.66	156.66
02- मजदूरी	0.12	0.12
03- मंहगाई भत्ता	94.00	94.00
04- यात्रा व्यय	3.00	3.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06- अन्य भत्ते	3.00	3.00
07- मानदेय	0.20	0.20
08- कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09- विदयुत देय	80.00	80.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
29-अनुरक्षण	500.00	500.00
42-अन्य व्यय	5.00	5.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49- चिकित्सा व्यय	6.00	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51- वर्दी व्यय	1.50	1.50
55- मकान किराया भत्ता	9.10	9.10
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.10	0.10
योग-	**868.68**	**868.68**

3- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्रस्तर-3 में यह निर्देश है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है | जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये, से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

पृ0 संख्या: 42/2025/478(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन,टीसी-35-वी ।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
(5) नियोजन (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) नियोजन अनुभाग-4
(7) निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ एअरपोर्ट, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in